राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

परिवाद संख्या : 13/01/2565 दिनांक : 15.7.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय सदस्य श्री एच.आर. कुड़ी

राजस्थान पत्रिका दिनांक 17.6.2013 में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी परीक्षा परिणाम से इस वर्ष दो लाख विद्यार्थी खुश नहीं है। इन असन्तुष्ट विद्यार्थियों में से डेढ़ लाख विद्यार्थियों ने संवीक्षा आवेदन, बोर्ड में प्रस्तुत किये है। उक्त समाचार के आधार पर आयोग ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका अवलोकन किया।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह अवगत करवाया है कि वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में परीक्षार्थियों की संख्या में 3,06,633 की वृद्धि हुई है। संवीक्षा व उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति प्राप्त करने के आवेदन पत्रों में वर्ष 2012 की तुलना में, वर्ष 2013 में मात्र 2565 आवेदन–पत्रों की वृद्धि हुई है, जो इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण है। वृद्धि होने का यह भी कारण रहा है कि बोर्ड ने संवीक्षा/फोटो प्रति के आवेदन पत्र ई–मित्र के माध्यम से स्वीकार किये है, जिससे गांवों में भी यह सुविधा प्राप्त हुई है। बोर्ड ने इस नई प्रक्रिया का समाचार–पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार व प्रसार किया है। अधिक आवेदन, परीक्षा परिणाम से असंन्तुष्ट होने के कारण नहीं वरन् बोर्ड द्वारा पूर्ण पारदर्शिता, व्यापक प्रचार–प्रसार व दुरस्थ स्थानों पर आवेदन की सुविधा प्रदान करने के कारण है। 3 लाख परीक्षार्थियों की वृद्धि के बावजूद आवेदनों की अधिक वृद्धि नहीं हुई है। समाचार–पत्र में प्रकाशित समाचार भ्रामक व तथ्यहीन है। गत वर्ष की तुलना में परीक्षा परिणाम में वृद्धि हुई है। बोर्ड ने पत्र में वर्ष 2012 व 2013 के परिणाम का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है।

बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणामों के बारे में दिन–प्रतिदिन आयोग में प्राप्त परिवाद एवं समाचारों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया में कही ना कही दोष है। आयोग में इस प्रकार की शिकायतें भी प्राप्त हुई है कि दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया के कारण कई छात्र अवसाद में आ गये है तथा कई छात्रों ने कुछ समय के लिये खाना–पीना छोड़ दिया है। अतः राज्य सरकार शिक्षाविद्ों की समिति गठित कर, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रणाली का पुनः विश्लेषण करवाकर, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें जिससे कि परीक्षार्थियों के साथ पूर्णरूप से न्याय हो सके। इस आदेश की प्रति प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

उक्तानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है।

(एच.आर. कुड़ी)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 12/17/298 दिनांक : 06.08.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष, श्री एच.आर. कुडी

पुलिस उपायुक्त पूर्व, जयपुर व महानिदेशालय, कारागार राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

इस मामले में आयोग ने दिनांक 29.12.2011 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर ''मारपीट से बचना है तो 50 हजार रुपये दो'' पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था।

पुलिस उपायुक्त पूर्व द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार परिवादी राजेन्द्र कुमार, निवासी सरकारी अस्पताल के पास, ग्राम अचरोल, जिला जयपुर ने पुलिस थाना लालकोठी, जयपुर में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उसका भाई मदनलाल एवं भतीजा रोहित दहेज के मामले में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में दिनांक 7.12.2011 से बन्द है। जेल में बन्द रोहित सुरी नाम का बन्दी उन्हें बार-बार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रुपयों की मांग करता है। रोहित सुरी, जेल परिसर में परिवादी के मोबाईल नम्बर पर बार-बार बातचीत कर कहता है कि जेल के बाहर लालसिंह नाम का व्यक्ति मिलेगा, जिसे 50,000/- हजार रुपये दे देना। उसने लालसिंह के मोबाइल नम्बर भी उसे बताये। दिनांक 27.12.2011 को वह जेल परिसर में गया, वहां उसे लालसिंह नाम का व्यक्ति मिला। जब परिवादी ने उसे कहा कि वह जेल प्रशासन से शिकायत करेगा, तो वह भाग गया। रोहित सुरी के आतंक से उसका भाई व भतीजा भयभीत है, वे कहते हैं कि रोहित सुरी बहुत खतरनाक व्यक्ति है। उसे रुपये नहीं देने पर वह उनको जेल में मार देगा या मरवा देगा। उसने उक्त घटना की सूचना जेल प्रशासन को भी दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 152/11, अन्तर्गत धारा 384 दर्ज की जाकर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से अभियुक्त रोहित सुरी व लालसिंह द्वारा भा.द.स. की दारा 384 का अपराध कारित करना पाया जाने पर, उनके विरुद्ध दिनांक 14.4.2012 को न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ने अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर से तथा उप महानिरीक्षक कारागार, जयपुर से इस मामले की प्रशासनिक जांच करवाई है। उप महानिरीक्षक, कारागार ने जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि जांच के दौरान इस बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुई कि रोहित सुरी की जेल कर्मियों से मिली भगत थी। पुलिस अधिकारियों ने उसके बैरिक की सघन तलाशी ली किन्तु उससे मोबाइल बरामद नहीं हो सका। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मोबाइल के बारे में पूछताछ की, किन्तु उससे मोबाइल बरामद नहीं हो सका। उसके पास मोबाइल था किन्तु उसने मोबाइल व

सिम नष्ट कर दी। जांच से किसी अधिकारी की लापरवाही भी साबित नहीं हुई।

पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान से यह तथ्य सामने आया है कि अभियुक्त रोहित सुरी के पास जेल में मोबाइल था, जिससे उसने परिवादी से तीन बार बातचीत कर लालसिंह अभियुक्त को 50 हजार रुपये देने के लिए कहा है। यह चिन्ता का विषय है कि बन्दी जेल में मोबाइल रखते है तथा वे जेल में रहते हुए अन्य बन्दियों से अपने रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों से रुपये मंगवाने के लिए दबाव डालते हैं तथा वे जेल में बैठे-बैठे इन आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं।

आयोग का सुझाव है कि कारागार प्रशासन को इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। कारागृहों में क्लोज सर्किट टेलीविजन लगाये जाकर, गम्भीर प्रकृति के अपराधियों की गतिविधियों पर सतत् निगरानी रखी जानी चाहिए। कारागृह में जैमर लगाये जाकर, कारागृह में मोबाइल के उपयोग पर पूर्णतया अंकुश लगाया जाना चाहिए। कारागृह में प्रवेश के समय बन्दियों की सघन तलाशी ली जावे तथा उनसे जेल में मिलने वाले व्यक्तियों पर जेल, अधिकारियों द्वारा पूर्ण निगरानी रखी जानी चाहिए, जिससे कि वे बन्दियों से मिलते समय उन्हें मोबाइल या सिम नहीं दे सके।

चूंकि अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 384 के अपराधों के आरोप की चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है, अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ परिवाद पत्रित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति महानिदेशक, कारागार राजस्थान जयपुर को प्रेषित की जावे।

(एच.आर.कुडी)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 12/17/2671 दिनांक : 20.09.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर. कुडी

दिनांक 30.07.2012 के दैनिक भास्कर समाचार–पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक ''**कैंसर बांट रहे पान–मसाले की जांच भी नहीं करा रही सरकार**'' के आधार पर इस आयोग द्वारा दिनांक 07.08.2013 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर समाचार–पत्र की कतरन जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी। प्रकरण के संबंध में समय–समय पर जिला कलक्टर, जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यं अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गयी तथा प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्टों की रोशनी में आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों का व्यक्तिगत परीक्षण किया जाना मुनासिब माना जाकर तलब किया, जिसके क्रम में आज जिला कलक्टर, जयपुर की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर शहर दक्षिण श्रीमती आशु चौधरी तथा डॉ. ओ.पी. थाकन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम एवं श्री सुशील

चौखानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जयपुर उपस्थित।

उपस्थित अधिकारीगण को विस्तार से सुना गया तथा संबंधित कानून एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 09.10.2012 के अनुसार आयुक्त (खाद्य) सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011 के अध्याय विक्रय प्रतिषेध और निर्वचन विनियम, 2, 3, 4 की पालना में विशेष अभियान चलाकर पान–मसाला, गुटका एवं खाद्य पदार्थ जिनके संघटक के रूप में तम्बाकू या निकोटिन का उपयोग किया जा रहा है, के नमूनीकरण एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की गयी अभियान के दौरान पान–मसाला के 13 नमूने विभिन्न प्रचलित ब्रांडों के लिये गये, जिनमें चार ब्राण्डों की जांच मानक स्तर पर पाई गई शेष 9 की जांच रिपोर्ट लंबित है तथा अभियान के दौरान 5.5 लाख गुटखा पाउच विभिन्न फर्मों से जब्त कर नष्ट करवाये गये। पुनः जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 18.03.2013 के अनुसार दुबारा अभियान चलाकर पान–मसाला/सुपारी के 14 नमूने विभिन्न प्रचलित ब्राण्डों के लिये गये, जिनमें से बाद जांच आठ नमूने मानक स्तर के एवं 6 नमूने अमानक स्तर के पाये गये तथा 14 लाख गुटखा पाउच विभिन्न फर्मों से जब्त कर नष्ट करवाये गये तथा 6 अमानक स्तर के ब्राण्डों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में चार ब्राण्डों के विरुद्ध अनुसंधान प्रक्रिया जेरतजबीज तथा दो ब्राण्डों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु शेष होना अंकित किया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाकर गुटखा एवं अन्य खाद्य पदार्थ, जिनमें निकोटिन या तम्बाकू का उपयोग किया जा रहा हो, ऐसे प्रकरणों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 55, 58 एवं 59 में दिये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गयी है।

अतः इस प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपस्थित अधिकारीगण को सुने जाने के पश्चात् राज्य के प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार को निर्देशित किया जाता है, खाद्य अपमिश्रण के मामलों में राज्य में नियमित चैकिंग एवं जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त निर्देशों के पश्चात् प्रकरण को लंबित रखे जाने का औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण पत्रित किया जाता है।

(एच.आर.कुड़ी)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 12/32/2468 दिनांक : 10.10.2013

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर.कुडी

इस प्रकरण में दैनिक भास्कर समाचार–पत्र दिनांक 23.07.2013 में प्रकाशित समाचार शीर्षक ''महिला–पुरुष की पेड़ से बांधकर पिटाई, महिला को निर्वस्त्र किया''– जुल्म की इंतहा– उदयपुर के कोलर गांव में जातीय पंचायत का 4 घंटे तालिबानी बर्ताव, पुलिस पर पथराव, खुद ही फैसला करने पर अड़ी पंचायत'' समाचार की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 23.07.2012 को स्वप्रेरणा से विस्तृत आदेश द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर समाचार–पत्र की कतरन जिला कलक्टर, उदयपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी। पुलिस ने भी तत्परता से कार्यवाही करते हुये पुलिस थाना सराड़ा में प्रकरण संख्या 165/2012 धारा 147, 149, 365, 342, 354, 504 509 भारतीय दण्ड संहिता एवं प्रकरण संख्या 166/2012 धारा 147, 149, 332 33, 283 भा.दं.संहिता व 3 पी.डी.पी.पी.एक्ट दर्ज किये गये तथा बाद अनुसंधान दोनों ही प्रकरणों में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में चालान पेश किये गये।

जिला कलक्टर, उदयपुर की ओर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार घटना की जानकारी पर राज्य सरकार के

निर्देशानुसार संभागीय आयुक्त, उदयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिन्होंने उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के नियम-8 के तहत आवेदन-पत्र एवं अमानवीय दुर्व्यवहार का शिकार होने पर यदि पीड़िता घटना के दिन से 1 वर्ष के भीतर सहायता के लिये आवेदन करती है तो उसे आर्थिक सहायता के रूप में 25,000/- रु. दिए जाने का प्रावधान है जिसके क्रम में पीड़ित महिला से आवेदन-पत्र शपथ-पत्र एवं एफ.आई.आर. की प्रति सहित दिनांक 03.08.2012 को राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेंशन न्यायालय) में प्रस्तुत कर दिया गया है जो विचारार्थ पैण्डिंग है।

घटना के क्रम में पीड़िता के स्वास्थ्य की जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के निर्देशन में खण्ड मुख्य चिकित्साधिकारी, सराड़ा से करवाई गई तथा पीड़िता को आवश्यक दवाईयों उपलब्ध कराई गई तथा पीड़िता का स्वास्थ्य ठीक होना बताया तथा उसकी दिमागी हालात भी बिल्कुल ठीक होना तथा उसे मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाने की आवश्यकता नहीं होने बाबत् अवगत कराया। पीड़िता अपने पीहर में रह रही है एवं उसने वहीं रहने की इच्छा जाहिर की है एवं वह पीहर पक्ष में ही स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही है तथा पुलिस प्रशासन द्वारा उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

अनेकों कानूनों/नियमों/प्रतिबंधों के बावजूद राज्य में अभी जातीय पंचायतों का बोलबाला है, आज भी सभी जातियों में कम या ज्यादा अपने-अपने समाज में स्वयंभू पंच पटेलों का फरमान अंतिम होता है। राज्य के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों/ जनजातीय क्षेत्रों एवं गांवों में अपनी-अपनी पुरानपंथी मान्यताओं को आधार बनाकर फरमान जारी किये जाते हैं, खासकर इन समाजों में महिलाओं के प्रति दकियानूसी सोच के चलते ज्यादतियां ज्यादा देखने में आती हैं, यह लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर प्रशासन का सामना करने को भी तैयार रहते हैं तथा अपनी कार्यशैली में या अपने आदेशों में पुलिस प्रशासन की दखलंदाजी को नकारते हुए मरने-मारने पर उतारू हो जाते हैं।

यह प्रकरण एक विवाहिता के अपने पड़ौसी के साथ 15 दिन तक घर से बाहर चले जाने मात्र का है, जिसे संबंधों शक में दोनों को धोखे से बुलाकर चार घण्टे तक पेड़ से बांध दिया, दोनों के बाल काट दिये तथा महिला को सरेआम निर्वस्त्र कर दिया, यह सारे कृत्य घोर अमानवीयता एवं स्त्री जाति की गरिमा से बहुत बड़ा खिलवाड़ है जो आज के युग में सोचनीय बिन्दु है। ऐसी जातीय पंचायतों को रोकने में स्थानीय पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में विशेष ध्यान जाना बहुत ही आवश्यक है, इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में शिक्षा तथा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे समाजों को मनोवैज्ञानिक रूप से जागरुक बनाने की आवश्यकता है जिसके लिये राज्य सरकार की ओर से पहल की आवश्यकता है।

इस प्रकरण में यद्यपि पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गयी है तथा अभियुक्तों को सिखचों में डाल दिया है एवं प्रकरण न्यायिक प्रक्रियाधीन है, किन्तु पीड़िता की अस्मिता की क्षतिपूर्ति दिये जाने वाली राशि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के यहाँ विचारार्थ है, जिसे पीड़िता को शीघ्र दिलाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रकरणों में राज्य को नीति निर्धारित कर लोगों को शीघ्र क्षतिपूर्ति दिलानी चाहिये।

प्रकरण की जांच के संबंध में राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त स्तर से शीघ्र जांच करवा कर तत्परता से कार्यवाही किये जाने से ऐसे प्रकरणों में दोषियों को दण्ड एवं पीड़ितों को राहत मिलती है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले पंच पटेलों में ऐसे कृत्यों के लिये भय व्याप्त होता है।

अतः इस आदेश की प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने स्तर से राज्य के जिला कलक्टरों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करें कि वह अपने–अपने क्षेत्रों में पूर्ण सजगता बरतते हुये जातीय पंचायतों के संबंध में सजगता बरतते हुये तत्काल से निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये इस कुप्रथा को समूले नष्ट करने में तत्पर हों तथा पीड़ित पक्ष का बचाव करते हुये क्षतिपूर्ति करवायें।

प्रकरण उपरोक्त निर्देशों के साथ पत्रित किया जाता है।

(एच.आर.कुड़ी)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 12/01/1231 दिनांक : 2.12.2013

एकलपीठ.3

समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर. कुडी

हिन्दी समाचार-पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 13.4.2012 को ''पैदा हुई थी बेटी, ईनाम के लालच में बेटे की सूचना दे दी'' शीर्षक से प्रकाशित खबर के आधार पर आयोग द्वारा दिनांक 17.4.2012 को प्रसंज्ञान लिया जाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को इस संबंध में किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाने के लिये निर्देशित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने डॉ. सम्पत सिंह जोधा, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर से जांच करवाकर, जांच रिपोर्ट प्रेषित की। मेडिकल कॉलेज प्रशासन तथा महिला चिकित्सालय, अजमेर द्वारा भी इस मामले जांच करवाई गई। जांच में यह पाया गया कि दिनांक 10.4.2012 को श्रीमती मोगा देवी को प्रसव के बाद स्टॉफ द्वारा उसके रिश्तेदारों को साधारण भाषा में बच्चा होने की खबर दी। बच्चा शब्द बच्चा एवं बच्ची दोनों हेतु आमतौर पर प्रयोग में लिया जाता है। श्रीमती मोगा देवी के रिश्तेदार बच्ची को देखकर भड़क गये। समाचार-पत्र में प्रकाशित खबर सही नहीं है। श्रीमती मोगा देवी को बच्ची पैदा हुई थी। उसके पति व रिश्तेदार को लेबर रूम के प्रसव रजिस्टर व बच्ची का भर्ती टिकट दिखाकर सन्तुष्ट किया गया कि श्रीमती मोगा देवी ने बच्ची को जन्म दिया है।

आयोग ने आदेश दिनांक 18.6.2012 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को आग्रह किया कि वे अपने अधीनस्थ अस्पतालों को यह निर्देश प्रसारित करने पर विचार करे कि-

1. किसी महिला का चिकित्सालय में प्रसव होने पर अस्पताल स्टॉफ द्वारा महिला द्वारा उसके रिश्तेदारों को स्पष्ट रूप से अवगत करवाये जावे कि उसके लड़का हुआ है अथवा लड़की। बच्चे को अगर कोई समस्या नहीं है तो संबंधित महिला तथा उसके रिश्तेदारों को दिखाया जावे।
2. समस्त अस्पताल वालों को निर्देशित करे कि अस्पताल में प्रसव होने पर मिठाई, ईनाम आदि अस्पताल परिसर में वितरण करने से निरूत्साहित किया जावे।

आयोग द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग ने पत्र क्रमांक प. 16 (11) एमई/ग्रुप-1/2012 दिनांक 5.7.2012 जारी कर समस्त मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक तथा अस्पताल अधीक्षक को आयोग द्वारा सुझाये गये दोनों निर्देश प्रसारित कर निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए लिखा है। निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर ने भी पत्र क्रमांक एच-125/2012/22 दिनांक 7.1.2013 के द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आयोग द्वारा सुझाये गये दोनों निर्देश प्रसारित कर निर्देशों की पालना सुनिश्चित कने के लिए पाबन्द किया है।

इस परिवाद में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः परिवाद पत्रित किया जाता है।

(एच.आर.कुड़ी)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या : 13/17/2577

दिनांक : 12.12.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री एच.आर. कुडी

इस प्रकरण में राष्ट्रदूत समाचार-पत्र दिनांक 09.06.2013 में प्रकाशित समाचार शीर्षक **''शाहपुरा में एक दर्जन खुले पड़े कुएं व ट्यूबवैल हादसे को दे रहे न्यौता''** के आधार पर आयोग द्वारा स्व.प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर जिला कलक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहे जाने पर जिला कलक्टर, जयपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.09.2013 द्वारा अवगत कराया गया कि पटवार सर्किल शाहपुरा से सामलाती खुले कुओं का सर्वे करवाया गया, जिसमें 14 कुएं निजी खातेदारी केखुले पड़े हुए मिले, जो वर्तमान में कृषि के कार्य में नहीं आ रहे हैं जिनमें तारबंदी करवाई गई तथा संबंधित खातेदारों को 15 दिवस में खुले पड़े हुए कुओं को ढंकने हेतु पाबंद किया गया।

उक्त रिपोर्ट से आयोग की संतुष्टि नहीं हो पाने पर जिला कलक्टर, जयपुर को प्रकरण के संबंध में विज्ञ अधिकारी को परीक्षण हेतु आयोग के समक्ष उपस्थित होने बाबत् निर्देशित किया गया।

उपरोक्त आदेशों की रोशनी में आज श्री अरविन्द कुमार सेंगवा, उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा उपस्थित आये तथा उन्होंने अपने निर्देशन में अधीनस्थ लोकसेवकों द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदमों बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत की। यद्यपि उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा ग्रामीण स्तर पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहपुरा एवं मुख्यालय स्तर पर अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका शाहपुरा द्वारा खुले कुओं को एहतियातिक रूप से पट्टियां डालकर ढंकवाये जाने की प्रगति का ब्यौरा एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त रिपोर्ट में उल्लेखित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुले कुंओं की संख्या को देखते हुये राज्य स्तर पर सभी शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुले कुओं की स्थिति कमोबेश एक जैसी है, स्थानीय स्तर पर इन खुले कुओं या खुले बोरिंग होलों से अनेक दुर्घटनायें घटित हुई हैं जिन्हें बचाने के लिये स्थानीय प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी है फिर भी कई मासूमों, नागरिकों एवं मवेशियों की जान नहीं बच पाई, इस प्रकार राज्य के चहुं ओर फैले भू-भाग में पुराने कुओं एवं खुले बोरिगों की संख्या बहुत अधिक है जिनसे हर समय खतरा बना

रहता है। राज्य आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई दुर्घटनाओं के बाबत् समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर अनेक प्रकरणों में प्रसंज्ञान भी लिया है, किन्तु राज्य स्तर पर इस संबंध में कोई कारगर नीति नहीं बनाई गई है।

अतः मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विषय में राज्य स्तर पर नीति निर्धारित कर राज्य के जिला कलक्टरों को राज्य में होने वाली मानवीय भूल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में संवेदनशील होकर कारगर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करावें तथा की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत करावे।

परिवाद इसी अनुरूप पत्रित किया जाता है।

(एच.आर.कुड़ी)
अध्यक्ष